न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस0
प्रकरण संख्या 10/2023
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर

जी.सी.एम.एस नं.– 2023/44
———प्रार्थी

बनाम

1–बृजेन्द्र कुमार पुत्र तुलाराम जाति खटीक साकिन भामतीपुरा, धौलपुर
2– हरीशंकर पुत्र रामस्वरूप जाति खटीक साकिन कमला कॉलोनी, बाडी रोड, धौलपुर
———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति–पैरोकार सरकार–प्रार्थी की ओर से
श्री हरवीर सिंह एडवोकेट ——अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक– 05.01.2024

प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 आर0टी0एक्ट बिरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 259/212 रकबा 0.5058 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम बाके ग्राम हिन्नोदा तहसील धौलपुर में स्थित है जो अप्रार्थीगण की खातेदारी में है अप्रार्थीगण को मुताबिक राजस्थान काश्तकारी कानून के नियमानुसार काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राजस्थान सरकार के नियमों के अर्न्तगत भूमि संपरिवर्तन कराए बिना कोई अधिकार नहीं हैं इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लघंन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराए एंव बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 259/212 रकबा 0.5058 हैक्टेयर पर प्लाटिंग की जा रही है तो कानूनी रूप से अबैध है तथा बिना भूमि संपरिवर्तन कराये अप्रार्थीगण को विवादित भूमि पर प्लाटिंग करने का कानूनी अधिकार नहीं हैं इस प्रकार अप्रार्थीगण कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पंहुचा कर शर्त भंग की हैं जिसके तहत अप्रार्थीगण विवादित भूमि से बेदखल किए जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अर्न्तगत उचित हैं। प्रार्थी की ओर से निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के द्वारा शर्तो का उल्लघंन किए जाने के प्रतिफल विवादित भूमि से बेदखल कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अर्न्तगत भूमि को सिवायचक दर्ज

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

कराने की आज्ञा प्रदान की जावे।

प्रार्थी के द्वारा आवेदन पत्र के समर्थन में रिपोर्ट पटवारी दिनांक 09.12.2022, नकल नक्शा अक्स, प्रतिलिपि जमाबन्दी सं0 2076–79 खाता संख्या 29 ग्राम हिन्नोदा, प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी सं0 2079 पेंश किये गये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर उनके अभिभाषक द्वारा बकालतनामा एवं जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जबाब में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए अंकित किया कि प्रार्थीगण ने अपनी भूमि को धारा 90 ए के लिये नगर परिषद धौलपुर में पत्रावली प्रस्तुत कर दी है जिसमें कार्यवाही जारी है लेकिन न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति हेतु स्थगन आदेश जार कर रखा है जिससे नगर परिषद द्वारा स्थगन आदेश के रहते कार्यवाही नहीं की जा सकती है। विवादित आराजी में राजस्थान काश्तकारी कानून की कोई शर्त भंग करके प्लाटिंग नहीं की गयी है। अंगर उत्तरदाता की खातेदारी की भूमि को सिवायचक दर्ज कर दिया जो उत्तरदाता को भारी हानि होगी। उत्तरदाता की विवादित आराजी से लगी आराजी में सन् 2016 से पूर्व से प्लाटिंग हो चुकी है जिसमें बनाये गये भूखण्डों में निर्माण कार्य हो रहा है इस प्रकार विभागीय आदेश राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं शासन विभाग क्रमांक 17(1)न.वि.वि./अभियान/2021 जयपुर दिनांक 1.7.2022 के तहत नगर परिषद धौलपुर को सोमोटो धारा 90ए (8) की कार्यवाही कर देनी चाहिए थी जो उन्होने नहीं की है लेकिन अब उत्तरदातागण ने धारा 90ए की कार्यवाही हेतु दिनांक 18.7.2023 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है जिसकी कार्यवाही न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण नही हो पा रही है। इस कारण कार्यवाही प्रकरण की ड्राप किया जाना आवश्यक है उन्होने अप्रार्थीगण द्वारा जबाब के साथ रसीद नगर पारिका, एवं धारा 90ए की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र की प्रति प्रस्तुत कर कार्यवाही 177 आर.टी.एक्ट ड्राप करने का निवेदन किया।

बहस उभयपक्षकार सुनी गई। पैरोकार सरकार, का कथन था कि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति एवं भूमि का संपरिवर्तन कराये बिवादित भूमि पर अकृषि प्रयोजन हेतु प्लाटिंग कर अकृषि प्रयोजन के उपयोग में ली जा रही है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत है ऐसी भूमि को उक्त अधिनियम की धारा 177 के तहत सिवायचक घोषित किया जाना उचित है उन्होने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित करने एवं अप्राथीगण को बेदखल करने के का आदेश जारी करने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का तर्क था कि विवादित आराजी से लगी आराजी पर प्लाटिंग हो चुकी है नगर परिषद को सोमोटो धारा 90ए के तहत कार्यावाही करनी

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

चाहिए थी किन्तु उनके द्वारा कार्यवाही नही किये जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा धारा 90ए के तहत कार्यवाही हेतु आवेदन नगर परिषद में प्रस्तुत कर दिया गया है जिसकी रसीद जबाव के साथ प्रस्तुत की गई है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण कार्यवाही नही हो पा रही है। विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय से अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने के कारण आराजी के संपरिवर्तन की कार्यवाही नही हो पा रही है। उन्होने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया। ।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित आराजी को अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना बताते हुए उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा भूमि का संपरिवर्तन कराये बिना प्लाटिंग का कार्य किया जाने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत खातेदारी अधिकार समाप्त करने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के कथनो को अस्वीकार कर कथन किया गया कि उनके द्वारा नगर परिषद धौलपुर में राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए के तहत कार्यवाही के लिए आवेदन द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है जिस पर कार्यवाही विचाराधीन है। अप्रार्थीगण के कथनों की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत नगर परिषद धौलपुर की रसीद प्रति एवं प्रति भूमि संपरिवर्तन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र से होती है। इस प्रकार जब विवादित आराजी के संबंध में धारा 90ए राज0 भूराजस्व अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही नगर परिषद धौलपुर में लम्बित है तो आवेदन पत्र प्रार्थी धारा 177 आर0टी0एक्ट0 विरूद्व अप्रार्थीगण उपरोक्त आराजी के संबंध में छः माह में संपरिवर्तन आदेश प्रस्तुत किये जाने की शर्त पर इसी स्तर पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 177 आर0 टी0 एक्ट बिरूद्व अप्रार्थीगण इस शर्त पर खारिज किया जाता है कि अप्रार्थीगण विवादित आराजी के संबंध में भूमि संपरिवर्तन आदेश 6 माह में प्राप्त कर प्रस्तुत करें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 05.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

मनीष कुमार जाटव
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)